

21/5/24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय दण्डा को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को सुनने का क्षेत्राधिकार है - चूंकि अपील धारा 7-5 लेण्ड रैवेन्यू एक्ट के अन्तर्गत आती है एवं न्यायालय दण्डा को इसका क्षेत्राधिकार नहीं है - न्यायालय उपरोक्त अधिकारी गिरा को पुनः लौटाया जा रहा है प्रकरण आगामी पेशी दिनांक 2/7/24 को पेश

है


